प्रकाशन हेतु अनुमोदित

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर**

**एकल पीठ: माननीय श्री मनींद्र मोहन श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति**

**दांडिक अपील क्रमांक : 1939/1997**

**अपीलार्थी:** घासीदास

**विरुद्ध**

**प्रत्यर्थी:** मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़)

**दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अंतर्गत दांडिक अपील।**

---

**उपस्थिति:-**

श्री आशुतोष शुक्ला, अपीलार्थी के अधिवक्ता।

सुश्री सुनीता जैन, राज्य हेतु पैनल अधिवक्ता।

---

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**<u>मौखिक आदेश</u>**

**(दिनांक 7 अगस्त, 2012 को पारित)`**

1. सुना गया।

2. यह अपील विशेष न्यायाधीश / प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा पारित दोषसिद्धि एवं दंडादेश के निर्णय दिनांक 04/09/97 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा और जिसके अंतर्गत, अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 161 के अधीन अपराध के कारित किए जाने का दोषी ठहराया गया है और एक वर्ष के साधारण कारावास तथा 500/- रुपये के अर्थदंड, एवं अर्थदंड के व्यतिक्रम की दशा में, तीन माह के साधारण कारावास से दंडित किया गया है तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 की धारा 5(1)(घ) सहपठित धारा

5(2) के अधीन एक वर्ष के साधारण कारावास एवं 500/- रुपये के अर्थदंड, तथा व्यतिक्रम की दशा में, तीन माह के साधारण कारावास से दंडित किया गया है।

3. अभियोजन का मामला, संक्षेप में, यह है कि सुसंगत समय पर, अपीलार्थी राजस्व विभाग में पटवारी के रूप में कार्यरत था और ग्राम-जलके में पदस्थ था। शिकायतकर्ता-अमर सिंह (अ.सा.-2) ने अपने पिता-बुद्धसेन की मृत्यु के कारण स्वयं के और अपने भाई के नाम के नामान्तरण के प्रयोजन हेतु अपीलार्थी से संपर्क किया। अपीलार्थी ने 1,000/- रुपये के अवैध परितोषण की मांग की और शिकायतकर्ता के अनुरोध पर, इसे 600/- रुपये तय किया गया। चूंकि शिकायतकर्ता अवैध परितोषण देने का इच्छुक नहीं था, इसलिए कृष्ण कुमार (अ.सा.-1) द्वारा एक लिखित शिकायत आयुक्त कार्यालय, बिलासपुर में प्रस्तुत की गई। उक्त शिकायत लोकायुक्त कार्यालय, बिलासपुर को अग्रेषित की गई। दिनांक 27/07/82 को, ट्रैप कार्यवाही के प्रयोजनों हेतु उपयोग किए जाने के लिए शिकायतकर्ता द्वारा लोकायुक्त कार्यालय में 600/- रुपये दिए गए। पंच साक्षियों की उपस्थिति में, एक प्रारंभिक पंचनामा (प्रदर्श पी-5) तैयार किया गया जिसमें मुद्रा नोटों पर फेनोल्फथेलिन पाउडर लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल के साथ फेनोल्फथेलिन की प्रतिक्रिया से संबंधित कार्यवाही दर्ज की गई। मुद्रा नोटों के क्रमांक भी दर्ज किए गए। तदोपरान्त, ट्रैप दल अभियुक्त/अपीलार्थी के स्थान की ओर प्रस्थान कर गया। अभियोजन पक्ष के प्रकरण के अनुसार, अपीलार्थी द्वारा अवैध परितोषण के रूप में 600/- रुपये की राशि स्वीकार की गई और उसके तुरंत बाद, शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए संकेत पर, ट्रैप दल वहां पहुंच गया और अपीलार्थी को घटनास्थल पर रंगे हाथों पकड़ लिया गया तथा उससे 600/- रुपये बरामद किए गए। अपीलार्थी और शिकायतकर्ता के हाथ धुलवाए गए, जिससे घोल का रंग गुलाबी हो गया। हाथ धोने के पश्चात के घोल को बोतलों में सुरक्षित कर सील कर दिया गया। प्रदर्श पी-7 के माध्यम से अपीलार्थी के आधिपत्य से मुद्रा नोट जब्त किए गए। बोतलों में सीलबंद घोल को रासायनिक परीक्षण हेतु विधि विज्ञान

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रयोगशाला भेजा गया। प्रदर्श पी-5 में एफ.एस.एल. (**FSL**) रिपोर्ट प्राप्त होने, सामान्य अन्वेषण पूर्ण होने और प्रदर्श पी-2 के माध्यम से अभियोजन हेतु स्वीकृति मिलने के उपरांत, अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 161 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 5(1)(घ) सहपठित धारा 5(2) के अंतर्गत अपराध कारित करने का आरोप लगाते हुए दिनांक 3/2/86 को सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर के न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियोग पत्र में निहित सामग्री के आधार पर, दिनांक 09/02/88 को अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए। अपीलार्थी ने दोष स्वीकार नहीं किया। उसका विचारण किया गया।

4. अपने प्रकरण को सिद्ध करने के लिए, अभियोजन ने कुल ग्यारह साक्षियों का परीक्षण कराया। अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को आरोपित अपराधों के कारित किए जाने का दोषी ठहराया और ऊपर वर्णित दंडादेश अधिरोपित किया, जिससे व्यथित होकर वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. दोषसिद्धि और दंडादेश के आक्षेपित निर्णय की सत्यता और वैधता को चुनौती देते हुए, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपीलार्थी की दोषसिद्धि विधि के अनुसार पोषणीय नहीं है क्योंकि अभियोजन अपराध गठित करने वाले आवश्यक तत्वों में से एक, अर्थात् अपीलार्थी द्वारा अवैध परितोषण की मांग को सिद्ध करने में पूरी तरह विफल रहा है। उनके अभिवचन के अनुसार, शिकायतकर्ता-अमर सिंह (अ.सा.-2) का साक्ष्य तात्विक पहलुओं पर अत्यधिक विरोधाभासी है और उसने अपने पूरे प्रति-परीक्षण में कहीं भी मांग के संबंध में बयान नहीं दिया है, बल्कि इसके विपरीत, उसने पूरे समय अपने इस बयान को कायम रखा कि उसने स्वयं अपनी मर्जी से अभियुक्त/अपीलार्थी को 600/- रुपये दिए थे। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का अन्य तर्क यह है कि शिकायतकर्ता-अमर सिंह (अ.सा.-2) के अनुसार, मांग उसके भाई राम सुंदर (अ.सा.-5) की उपस्थिति में की गई थी,

लेकिन राम सुंदर (अ.सा.-5) ने अपीलार्थी द्वारा शिकायतकर्ता-अमर सिंह से की गई मांग की कहानी का समर्थन नहीं किया है। आगे यह तर्क दिया गया है कि जिस प्रकार कृष्ण कुमार (अ.सा.-1) ने अनुचित रुचि ली है, वह यह दर्शाता है कि बिना किसी मांग के भी, कृष्ण कुमार (अ.सा.-1) के उकसावे पर एक झूठी शिकायत दर्ज कराई गई थी, जबकि शिकायतकर्ता, अपीलार्थी के विरुद्ध कोई शिकायत दर्ज कराने का इच्छुक नहीं था। इन परिस्थितियों में, जब शिकायतकर्ता के भाई ने मांग की अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया है और शिकायतकर्ता का कथन विरोधाभासी है तथा विश्वास को प्रेरित नहीं करता है, तो मांग के संबंध में अभियोजन का मामला अविश्वास किए जाने योग्य है।

6. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का अगला तर्क यह है कि जहाँ तक धनराशि स्वीकार करने का प्रश्न है, अभियोजन पक्ष के साक्ष्य विरोधाभासी हैं। शिकायतकर्ता (अ.सा.-2) के अनुसार, राशि का भुगतान ग्राम घाघरा से ग्राम जलके लौटते समय किया गया था, जबकि एम.के. हीराधर (अ.सा.-7) और वाई. टोप्पो (अ.सा.-9) के अनुसार, शिकायतकर्ता द्वारा अपीलार्थी को 600/- रुपये की राशि का भुगतान अपीलार्थी के घर/कार्यालय में किया गया था। यह भी तर्क दिया गया है कि एम.के. हीराधर (अ.सा.-7) और वाई. टोप्पो (अ.सा.-9) द्वारा बातचीत सुनने का संस्करण अत्यधिक असंभाव्य है क्योंकि दोनों साक्षियों ने यह बयान दिया है कि वे अपीलार्थी के घर से लगभग 15 से 20 फीट दूर एक पास के पेड़ के नीचे खड़े थे। उन्होंने आगे तर्क दिया कि शिकायतकर्ता (अ.सा.-2) के अनुसार, राशि का भुगतान राम सिंह (अ.सा.-3) की उपस्थिति में किया गया था, लेकिन राम सिंह (अ.सा.-3) ने अपनी उपस्थिति में शिकायतकर्ता द्वारा अपीलार्थी को 600/- रुपये के भुगतान के इस संस्करण का समर्थन नहीं किया है। इसलिए, स्वीकृति का अभियोजन का मामला भी अत्यधिक संदेहास्पद है। तत्पश्चात यह तर्क दिया गया है कि विश्वसनीय साक्ष्य और मांग के प्रमाण के अभाव में, केवल स्वीकृति और बरामदगी को ही भारतीय दंड संहिता की धारा 161 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

धारा 5(1)(घ) सहपठित धारा 5(2) के तहत दोषसिद्धि का आधार नहीं बनाया जा सकता है। अपने तर्कों के समर्थन में, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कतिपय निर्णयों का अवलंब लिया है, जिनमें सी.एम. गिरीश बाबू बनाम सी.बी.आई., (2009) 3 एस सी सी 779; टी. सुब्रमण्यम बनाम तमिलनाडु राज्य, (2006) 1 एस सी सी 401; यशवंत राव मराठा बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 2012 (1) **CGLJ** 132 और मोतीलाल बनवाला बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 2012 (2) **CGLJ** 59 शामिल हैं।

7. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने दोषसिद्धि एवं दंडादेश के निर्णय का समर्थन किया और तर्क दिया कि जहाँ तक मांग का प्रश्न है, शिकायत (प्रदर्श पी-1) को शिकायतकर्ता (अ.सा.-2) और स्वतंत्र साक्षी कृष्ण कुमार (अ.सा.-1) द्वारा विधिवत सिद्ध किया गया है। यह तर्क दिया गया है कि शिकायतकर्ता ने अपने मुख्य परीक्षण में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि राजस्व अभिलेखों में आवश्यक सुधार करने के लिए 1,000/- रुपये की मांग की गई थी, लेकिन इसे 600/- रुपये पर तय किया गया था। मांग की इस कहानी को कृष्ण कुमार (अ.सा.-1) के साक्ष्य से समर्थन मिला है, जिन्होंने यह भी कहा है कि शिकायतकर्ता ने उन्हें सूचित किया था कि अपीलार्थी अवैध परितोषण की मांग कर रहा है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि यहाँ तक कि दो स्वतंत्र पंच साक्षियों—एम.के. हीराधर (अ.सा.-7) और वाई. टोप्पो (अ.सा.-9) ने भी कहा है कि जब शिकायतकर्ता अपीलार्थी के घर पहुँचा और राजस्व अभिलेखों में सुधार के लिए अनुरोध किया, तो अपीलार्थी ने 600/- रुपये की मांग की, जिसका भुगतान अपीलार्थी को मौके पर ही किया गया था। इसलिए, अपनी ओर से एक पदीय कार्य के निर्वहन के लिए शिकायतकर्ता से अपीलार्थी द्वारा की गई मांग को सिद्ध करने के लिए अभिलेख पर प्रचुर साक्ष्य उपलब्ध हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जहाँ तक स्वीकृति का संबंध है, उस संबंध में भी शिकायतकर्ता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अपीलार्थी ने 600/- रुपये की राशि स्वीकार की, जो पदीय कार्य

करने के लिए अवैध परितोषण के रूप में भुगतान करने हेतु पहले ही तय हो चुकी थी। विद्वान अधिवक्ता ने एम.के. हीराधर (अ.सा.-7) और वाई. टोप्पो (अ.सा.-9) के साक्ष्य का भी उल्लेख किया, जो पंच साक्षी हैं और उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कहकर अभियोजन की कहानी का समर्थन किया है कि उन्होंने अपीलार्थी को 600/- रुपये की मांग करते हुए देखा और सुना था और उसके बाद, शिकायतकर्ता द्वारा उक्त राशि का भुगतान अपीलार्थी/अभियुक्त को किया गया था, जिसे अपीलार्थी ने स्वेच्छा से स्वीकार किया और उसे अपने बटुए में और फिर अंतःवस्त्र/बनियान की जेब में रख लिया।

अभियोजन ने अपीलार्थी से दागी नोट की बरामदगी को भी सिद्ध किया है। ट्रैप दल के साक्षियों सहित सभी अभियोजन साक्षियों ने कहा है कि जब ट्रैप प्राधिकारी घटनास्थल पर पहुँचे और धन के संबंध में पूछा गया, तो वही अपीलार्थी के आधिपत्य से बरामद किया गया। राज्य हेतु विद्वान अधिवक्ता आगे तर्क प्रस्तुत करते हैं कि जब्ती पत्रक (प्रदर्श पी-7) को पंच साक्षियों द्वारा विधिवत सिद्ध किया गया है, जिन्होंने स्पष्ट रूप से बयान दिया है कि दागी नोट अपीलार्थी के आधिपत्य से बरामद किये गए थे। स्वीकृति और बरामदगी एफ.एस.एल. रिपोर्ट से और सिद्ध होती है, जो स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि हाथ धोने के घोल में फेनोल्फथेलिन के अंश थे, जो अभियोजन की इस कहानी का समर्थन करते हैं कि दागी नोट को अपीलार्थी द्वारा छुआ गया था। अंत में यह तर्क दिया गया कि यहाँ तक कि अभियुक्त ने अपने बयान में स्वीकार किया है कि उसे धन प्राप्त हुआ था, लेकिन उसका बचाव यह है कि राशि का भुगतान शिकायतकर्ता ने स्वयं अपनी मर्जी से किया था और अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से ऐसी कोई मांग नहीं थी। इसलिए, अवैध परितोषण स्वीकार करने का अपराध बनता है और दोषसिद्धि एवं दंडादेश के निर्णय में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. उच्चतम न्यायालय ने ए. सुबैर बनाम केरल राज्य, (2009) 6 एस सी सी 587 के प्रकरण में, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 और 13 के प्रावधानों

के तहत रिश्वतखोरी के अपराध के गठन के लिए आवश्यक तत्वों का परीक्षण निम्नलिखित शब्दों में किया है—

> "13. धारा 7 के आवश्यक तत्व हैं:
>
> (i) यह कि परितोषण स्वीकार करने वाला व्यक्ति एक लोक सेवक होना चाहिए;
>
> (ii) यह कि उसे स्वयं के लिए परितोषण स्वीकार करना चाहिए और वह परितोषण किसी पदीय कार्य को करने या करने से प्रविरत रहने के लिए या अपने पदीय कार्यों के प्रयोग में किसी व्यक्ति पर अनुग्रह दिखाने या न दिखाने के हेतु या इनाम के रूप में होना चाहिए।"
>
> "14. जहाँ तक अधिनियम की धारा 13(1)(घ) का संबंध है, इसके आवश्यक तत्व हैं:
>
> (i) कि वह एक लोक सेवक रहा हो;
>
> (ii) कि उसने भ्रष्ट या अवैध साधनों का उपयोग किया हो या अन्यथा ऐसे लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया हो, और
>
> (iii) कि उसने स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ प्राप्त किया हो।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सी.के. दामोदरन नायर बनाम भारत सरकार के प्रकरण में, इस न्यायालय को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 5(1)(घ) [अब अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(घ)] में प्रयुक्त शब्द "अभिप्राप्त" पर विचार करने का अवसर मिला था, और यह अभिनिर्धारित किया गया

था कि: (एस सी सी पृ. 483, पैरा 12)

> "12. जहाँ तक अधिनियम की धारा 5(1)(घ) सहपठित धारा 5(2) के अधीन किसी अपराध का संबंध है, स्थिति भिन्न होगी। ऐसे अपराध के लिए अभियोजन को यह सिद्ध करना होगा कि अभियुक्त ने भ्रष्ट या अवैध साधनों द्वारा या अन्यथा लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करके मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ 'अभिप्राप्त' किया है, और वह भी अधिनियम की धारा 4(1) के अधीन सांविधिक उपधारणा की सहायता के बिना... 'अभिप्राप्त करने' का अर्थ अनुरोध या प्रयास के परिणामस्वरूप हासिल करना या प्राप्त करना है... अभिप्राप्ति के प्रकरण में पहल उस व्यक्ति में निहित होती है जो प्राप्त करता है और उस संदर्भ में, उसकी ओर से मांग या अनुरोध अधिनियम की धारा 5(1)(घ) के अधीन अपराध के लिए एक प्राथमिक अपेक्षा होगी..."

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अब यह विधिक स्थिति सुस्थापित है कि अधिनियम की धारा 13(1)(घ) के अधीन अपराध की प्राथमिक अपेक्षा लोक सेवक द्वारा किसी मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ की मांग या अनुरोध का प्रमाण है। दूसरे शब्दों में, मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ के लिए लोक सेवक की ओर से मांग या अनुरोध के प्रमाण के अभाव में, धारा 13(1)(घ) के अधीन अपराध को स्थापित नहीं माना जा सकता है।

9. इसलिए, इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए कि क्या दोषसिद्धि का मामला बनता है, यह देखना आवश्यक है कि क्या अभियोजन ने अभियुक्त द्वारा अवैध परितोषण की मांग और उसकी स्वीकृति को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध किया है।

10. मांग सिद्ध करने के लिए अभियोजन का मुख्य साक्षी शिकायतकर्ता-अमर सिंह (अ.सा.-2) है। अपने मुख्य परीक्षण के पैरा 1 में, शिकायतकर्ता ने न्यायालय के समक्ष कहा है कि जब उसने अपने पिता की मृत्यु के कारण अभिलेखों में सुधार के लिए अपीलार्थी से संपर्क किया, तो अपीलार्थी द्वारा 1,000/- रुपये की मांग की गई और फिर मांग 600/- रुपये पर तय हुई। उसने आगे कहा है कि इस तथ्य का खुलासा उसके द्वारा कृष्ण महाराज (अ.सा.-1) को किया गया था और उन्होंने उसे शिकायत दर्ज करने की सलाह दी तथा सतर्कता कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए शिकायत तैयार की। हालाँकि, अपने प्रति-परीक्षण के पैरा 5 में, वह कहता है कि उसने पटवारी से विभाजन कराने में होने वाले खर्च के बारे में पूछा था और कहा था कि वह खर्च के रूप में होने वाली राशि का भुगतान करने के लिए तैयार है। अपने बयान के पैरा 6 में, वह आगे कहता है कि जब कृष्ण महाराज को पता चला कि वह पटवारी को कुछ देना चाहता है, तो कृष्ण महाराज ने पटवारी को ट्रैप में फंसाने का प्रस्ताव रखा और तब शिकायत तैयार की गई और उसके हस्ताक्षर लिए गए। उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो पैसा उसने अभियुक्त को दिया था वह उसकी अपनी मर्जी से था न कि किसी मजबूरी के कारण, और पटवारी के खिलाफ किसी कार्यवाही का उसका कोई आशय नहीं था, बल्कि कृष्ण महाराज के कहने पर उसने शिकायत की थी। इस प्रकार, शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए मांग के साक्ष्य सुसंगत नहीं हैं और उसने अपने मुख्य परीक्षण और प्रति-परीक्षण में मांग के संबंध में दो परस्पर विरोधी रुख अपनाए हैं। जहाँ मुख्य परीक्षण में वह कहता है कि मांग की गई थी, वहीं प्रति-परीक्षण में उसके बयान में मांग का कोई उल्लेख नहीं है, बल्कि इसके विपरीत, उसने अपना यह बयान कायम रखा कि वह स्वयं पटवारी को कुछ देने का इच्छुक था और उसके अनुसार, पटवारी को जो दिया गया वह उसकी अपनी मर्जी से था और कोई दबाव नहीं था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

राम सुंदर (अ.सा.-5), जो शिकायतकर्ता का भाई है, उसने अभियोजन के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है। अपने साक्ष्य के पैरा 1 में, उसने स्पष्ट रूप से

कहा है कि अभियुक्त द्वारा धन की कोई मांग नहीं की गई थी। अभियोजन ने राम सुंदर (अ.सा.-5) को पक्षद्रोही घोषित नहीं किया है और अपने प्रति-परीक्षण में, उसने अपीलार्थी द्वारा अवैध परितोषण की मांग के संबंध में दिए गए सुझाव का दृढ़ता से खंडन किया है। इन परिस्थितियों में और उपरोक्त विरोधाभास के आलोक में, यह माना जाना चाहिए कि अभियोजन अपीलार्थी द्वारा शिकायतकर्ता-अमर सिंह (अ.सा.-2) से 600/- रुपये की मांग को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में विफल रहा है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि शिकायतकर्ता के भाई राम सुंदर (अ.सा.-5) ने भी मांग की कहानी का समर्थन नहीं किया है।

जहाँ तक कृष्ण कुमार (अ.सा.-1) का संबंध है, उनका साक्ष्य भी भिन्नता पूर्ण है। एक स्थान पर वह कहते हैं कि शिकायतकर्ता ने उन्हें सूचित किया कि 500/- रुपये की मांग की गई है और साथ ही वह कहते हैं कि उन्हें यह याद नहीं है कि कितनी राशि मांगी गई थी। अपने प्रति-परीक्षण में, उन्होंने स्वीकार किया है कि वे सतर्कता विभाग के निरंतर संपर्क में थे और वे सतर्कता विभाग के माध्यम से कई अधिकारियों और पटवारियों को ट्रैप में फंसाने में लगे रहे हैं। इसलिए, कृष्ण कुमार (अ.सा.-1) का कथन अभियोजन की कहानी को विशेष रूप से तब अधिक समर्थन प्रदान नहीं करता, जब वे यह नहीं कहते कि मांग उनकी उपस्थिति में की गई थी। एकमात्र साक्षी, जो इस शिकायत की संपुष्टि कर सकता था कि मांग की गई थी, वह शिकायतकर्ता का भाई यानी राम सुंदर (अ.सा.-5) था, लेकिन उसने अभियोजन के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. जहाँ तक 600/- रुपये स्वीकार करने का संबंध है, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य उस स्थान के संबंध में विरोधाभासी हैं जहाँ राशि का भुगतान किया गया था। शिकायतकर्ता-अमर सिंह (अ.सा.-2) ने अपने प्रति-परीक्षण के पैरा 8 में कहा है कि जब पटवारी ग्राम-जलके स्थित अपने घर में नहीं मिला, तो वह ग्राम-घाघरा गया, जहाँ अपीलार्थी एक बैजनाथ पटेल के घर में बैठा पाया गया और जब वह ग्राम घाघरा से ग्राम जलके वापस आ रहा था, तब पैसे दिए गए थे। शिकायत

(प्रदर्श पी-1) यह दर्शाती है कि 600/- रुपये अवैध परितोषण के रूप में देना तय हुआ था जिसे वह देने का इच्छुक नहीं था और इसलिए शिकायत की गई थी। इस प्रकार, शिकायत स्वयं मनगढ़ंत प्रतीत होती है क्योंकि शिकायतकर्ता-अमर सिंह (अ.सा.-2) के अनुसार, ग्राम घाघरा से लौटते समय राशि का भुगतान पहले ही किया जा चुका था। इसके अलावा, यह कहानी एक अन्य परिस्थिति से और भी असत्य सिद्ध होती है कि यद्यपि शिकायतकर्ता ने कहा है कि पैसे देते समय उसका भतीजा-राम सिंह (अ.सा.-3) भी वहाँ था, राम सिंह (अ.सा.-3) ने शिकायतकर्ता द्वारा अपीलार्थी को अवैध परितोषण देने की कहानी का समर्थन नहीं किया है। उसे अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने इस तथ्य पर काफी जोर दिया कि राम सिंह ने बयान दिया है कि जब उसके चाचा और एक अन्य व्यक्ति बिलासपुर स्थित कार्यालय गए थे, तब वह भी वहाँ था और अगले दिन, जब वह अपने चाचा के साथ ग्राम-जलके गया, तो अधिकारियों ने उनका पीछा किया। उसके बाद, वे सभी शिकायतकर्ता-अमर सिंह (अ.सा.-2) के घर गए, जहाँ पटवारी बैठा था और उसने पटवारी से बात की थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. इस न्यायालय की राय में, राम सिंह (अ.सा.-3) द्वारा पैसे दिए जाने के शिकायतकर्ता के संस्करण का समर्थन न करने के कारण, अपीलार्थी द्वारा अवैध परितोषण स्वीकार करने के संबंध में अभियोजन के प्रकरण की सत्यता पर गंभीर संदेह उत्पन्न होता है। इसके अलावा, राम सिंह (अ.सा.-3) ने अपीलार्थी द्वारा शिकायतकर्ता से 600/- रुपये की मांग के सुझाव को स्पष्ट रूप से नकारा है। राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने अपने इस तर्क को पुष्ट करने के लिए दो पंच साक्षियों यानी एम.के. हीराधर (अ.सा.-7) और वाई. टोप्पो (अ.सा.-9) के साक्ष्य पर भी गहरा भरोसा किया है कि उन्होंने अपीलार्थी को अवैध परितोषण की राशि मांगते और स्वीकार करते देखा था। राज्य के विद्वान अधिवक्ता के  इस अभिवचन को खारिज किया जाना उचित है क्योंकि उस स्थान के संबंध में शिकायतकर्ता और उन दो पंच

साक्षियों एम.के. हीराधर (अ.सा.-7) और वाई. टोप्पो (अ.सा.-9) के बयानों में गंभीर विरोधाभास है जहाँ अवैध परितोषण देने का कथन किया गया है।

पुनरावृत्ति के जोखिम पर, यह उल्लेख किया जा सकता है कि शिकायतकर्ता-अमर सिंह (अ.सा.-2) ने कहा है कि ग्राम घाघरा से ग्राम जलके लौटते समय राम सिंह (अ.सा.-3) की उपस्थिति में अपीलार्थी को पैसे दिए गए थे, जबकि एम.के. हीराधर (अ.सा.-7) और वाई. टोप्पो (अ.सा.-9) ने बयान दिया है कि शिकायतकर्ता-अमर सिंह द्वारा अपीलार्थी को उसके घर में पैसे दिए गए थे। अभियोजन एक ओर शिकायतकर्ता के संस्करण और दूसरी ओर उन दो पंच साक्षियों के बीच इस गंभीर विरोधाभास को स्पष्ट करने में विफल रहा है। इसलिए, अवैध परितोषण की राशि स्वीकार करने के संबंध में अभियोजन का मामला भी अत्यधिक संदेहास्पद हो जाता है। यह और भी अधिक इसलिए है क्योंकि शिकायतकर्ता के अपने भतीजे राम सिंह (अ.सा.-3) ने राशि के भुगतान के संस्करण का समर्थन नहीं किया है, जबकि शिकायतकर्ता (अ.सा.-2) के अनुसार, राम सिंह (अ.सा.-3) भी मौके पर मौजूद था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. जहाँ तक बरामदगी के पक्ष का संबंध है, यह पूर्णतः सुस्थापित है कि मांग और स्वीकृति से संबंधित अन्य परिस्थितियों से पृथक मात्र बरामदगी, किसी सरकारी सेवक को अवैध परितोषण स्वीकार करने के अपराध का दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है। टी. सुब्रमण्यम (पूर्वोक्त) के प्रकरण में, उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अवैध परितोषण के रूप में धन की मांग और स्वीकृति के अभाव में, अभियुक्त द्वारा धन प्राप्त करने का मात्र प्रमाण, अभियुक्त का दोष स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। सी.एम. गिरीश बाबू (पूर्वोक्त) के प्रकरण में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि दागी नोट की मात्र बरामदगी, उन परिस्थितियों से पृथक जिनमें इसका भुगतान किया गया है, अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है, जब प्रकरण में मूल साक्ष्य विश्वसनीय न हो। उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त सुसंगत दृष्टिकोण का इस न्यायालय द्वारा यशवंत राव मराठा (पूर्वोक्त) और

मोतीलाल बनवाला (पूर्वोक्त) के साथ-साथ दरियाव सिंह वशिष्ठ बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (दांडिक अपील क्रमांक 663/01) के मामलों में भी अनुसरण किया गया है।

14. परिणामस्वरूप, दोषसिद्धि एवं दंडादेश का आक्षेपित निर्णय विधि के अनुसार संधारणीय नहीं है और इसे स्थिर नहीं रखा जा सकता। तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है। दोषसिद्धि एवं दंडादेश के आक्षेपित निर्णय को अपास्त किया जाता है और अपीलार्थी को आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। चूंकि अपीलार्थी जमानत पर है, अतः उसके जमानत बंधपत्र और प्रतिभू उन्मोचित किए जाते हैं।

**सही/-**

**(मनींद्र मोहन श्रीवास्तव)**

**न्यायाधीश**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

**Translated By Smt. Vijaylaxmi Pradhan [Adv.]**